राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी — जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर— 170/2020

1. दीनेश पुत्र हरिराम
2. नित्यानन्द पुत्र हरिराम
3. योगेश पुत्र हरिराम

   समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ग्राम ककराय तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थीगण

ब—ना—म

1. अशोक कुमार पुत्र धर्मपाल
2. रवि कुमार पुत्र धर्मपाल
3. राकेश कुमार पुत्र धर्मपाल (फौत)

3/1. सुशीला देवी पत्नी राकेश कुमार

3/2. प्रेरणा पुत्री राकेश कुमार

3/3. अनुष्का पुत्री राकेश कुमार

4. शशि कुमार पुत्र धर्मपाल
5. आशा कुमारी पुत्री धर्मपाल पत्नी अशोक कुमार निवासी ग्राम हुडिया खुर्द तहसील नीमराणा जिला अलवर, राज0
6. कृष्णा देवी पत्नी धर्मपाल
7. छाजूराम पुत्र गोरू
8. राधेश्याम पुत्र गोरू
9. बाबूलाल पुत्र गजानन्द
10. राजूराम पुत्र गजानन्द
11. रामकिशन पुत्र गजानन्द
12. सुन्दरलाल पुत्र गजानन्द
13. विजय कुमार पुत्र बंशीधर
14. विधाधर दत्तक पुत्र गिरधारी
15. ताराचन्द पुत्र श्रीराम
16. पवन कुमार पुत्र श्रीराम
17. विजेन्द्र पुत्र श्रीराम
18. सावित्री पत्नी श्रीराम
19. मीना पुत्री श्रीराम

    समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ग्राम ककराय तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:30:39 IST
Reason: SelfAttested

.... अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री हेमराज सिंह – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री जयप्रकाश सैनी – अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 व 9 से 14 की ओर से

:: निर्णय :: **दिनांक 11–05–2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ककराय तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 154 के ख.नं. 62 रकबा 0.89 है. के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं और मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। ग्राम ककराय तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 36 में दर्ज ख.नं. 74 रकबा 0.62 है. भूमि के अप्रार्थी सं. 1 लगायत 14 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा खाता सं. 168 में दर्ज खसरा नंबर 73 रकबा 0.21 है. के अप्रार्थी सं. 15 लगायत 19 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की उपरोकत वर्णित खातेदारी की भूमि ख.नं. 62 में आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए मात्र एक रास्ता आम रास्ते के उत्तर दिशा में फटकर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 14 की खातेदारी भूमि ख.नं. 74 की पूर्वी मेड/सीमा के सहारे–सहारे 6 फीट व अप्रार्थी सं. 15 लगायत 19 की खातेदारी भूमि ख.नं. 73 की पश्चिमी मेड/सीमा के सहारे–सहारे 6 फीट चौड़ा इस प्रकार 12 फीट चौड़ा कदीम से आता जाता रहा है जिसे नजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से दिखाया गया है। प्रार्थीगण का यह रास्ता कदीम से आवागमन के रास्ते के रूप में व साधन लाने ले जाने के काम में आता रहा है जो 12 फुट चौड़ा है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उक्त रास्ता कटान में नहीं होने से अप्रार्थी सं. 1 लगा. 19 रास्ते को काश्त कर देते है व अवरोध कर देते हैं जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत में काश्त के समय साधन लाने व ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थीगण को कानून के अनुसार ख.नं. 74 की पूर्वी मेड/सीमा के सहारे–सहारे 6 फीट व ख.नं. 73 की पश्चिमी मेड/सीमा के सहारे– सहारे 6 फीट इस प्रकार कुल 12 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने के लिए यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की वाके ग्राम ककराय तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 154 के ख.नं. 62 रकबा 0.89 है. में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 लगायत 14 की खातेदारी भूमि ख.नं. 74 रकबा 0.62 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे 6 फीट चौड़ा एवं अप्रार्थी सं. 15 लगायत 19 की खातेदारी भूमि ख.नं. 73 रकबा 0.21 है की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे 6 फीट चौड़ा इस प्रकार कुल 12 फीट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे व उक्त रकबा के लिये धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि [illegible] कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:30:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 व 9 से 11, 13, 14 ने जवाब प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि भूमि खसरा नंबर 74 एवं उसके पूर्व में स्थित भूमि खसरा नंबर 73 की सीमा के ऊपर से कोई रास्ता कभी नहीं था ना ही आज मौके पर है। यदि आवेदकगण नया रास्ता लेना चाहते हैं, राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं तो खसरा नंबर 74 की पश्चिमी सीमा व खसरा नंबर 75 की पूर्वी सीमा पर से रास्ता की मांग कर सकते हैं क्योंकि वहां से रास्ता दिये जाने में कम से कम भूमि रास्ता के काम आयेगी एवं कम से कम कृषि भूमि बर्बाद होगी जबकि खसरा नंबर 74 की पूर्वी सीमा पर से रास्ता कायम करने पर अधिक भूमि रास्ता के रूप में काम आयेगी एवं कृषि भूमि भी अधिक बर्बाद होगी। साथ ही आवेदकगण, अनावेदकगण को भूमि के बदले भूमि देवें अर्थात् जितना रकबा रास्ता में काम आयेगा उतना ही या उससे दुगुना रकबा आवेदकगण की खातेदारी में से कम कर अनावेदकगण के नाम दर्ज कर दिया जाने योग्य है क्योंकि जवाबदाताओं की भूमि का काफी रकबा रास्ता में काम आयेगा एवं जवाबदाताओं के पास रकबा भी कम ही है इसलिए रास्ता खसरा नंबर 74 की पश्चिमी सीमा व खसरा नंबर 75 की पूर्वी सीमा पर से कायम कर रास्ता के काम आने वाली भूमि के बदले अनावेदकगण की खसरा नंबर 62 में से भूमि दिये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण सं. 8, 12 व 15 से 20 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक: राजस्व/2021/807 दिनांक 30.03.2021 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि :–

1. जमाबंदी वाके ग्राम ककराय संवत् 2075–2078 खाता संख्या 154 के खसरा नंबर 62 रकबा 0.89 है. भूमि खातेदार की संयुक्त खातेदारी भूमि है।
2. प्रार्थीगण ख.नं. 62 रकबा 0.89 है. भूमि के कुछ भाग में आवासीय मकानात बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकत अत्यांतिक है।
3. ख.नं. 62 में जाने के लिए कोई कटानी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अत: प्रस्तावित रास्ते के अलावा पहुंच का वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।
4. ख.नं. 62 से कटानी रास्ता ख.नं. 84 के मध्य ख.नं. 74 है। ख.नं. 74 में अशोक वगैरह की संयुक्त खातेदारी भूमि व ख.नं. 73 में ताराचन्द वगैरह की संयुक्त खातेदारी भूमि है। ख.नं. 74 की पूर्वी सीमा की लम्बाई 54 मीटर है। रास्ते में आने वाला कुल क्षेत्रफल व ख.नं. 73 की लम्बाई 58 मीटर है। जो ख.नं. 73 की पश्चिमी के सहारे–सहारे 58X2=116 वर्गमीटर का रास्ता प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते की डी.एल.सी. रेट से 14611/– रूपये बनते हैं। जिसका दुगुना प्रतिकर राशि 29230/–रूपये हैं।

प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा किश्तवार सन् 1979–80, जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 154, खाता सं. 36 व खाता सं. 168 ग्राम ककराय, नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ते का पेश किये।

अप्रार्थीगण ने दिनांक 10.05.2022 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण खसरा नंबर 74 के पश्चिम में आवेदकगण को मुताबिक नजरी नक्शा के अनुसार रास्ता देने के लिए तैयार है, रा[illegible] जितनी भूमि [illegible] आयेगी उसके बदले में आवेदकगण, अनावेदकगण को अपनी भूमि खसरा [illegible] में से आवेदकगण व अनावेदकगण की भूमि की सीमा खसरा नंबर 62 की दक्षिणी [illegible] के सहारे–सहारे खसरा नंबर 74 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे प्रस्तावित [illegible] नक्शा के अनुसार देगा। आवेदकगण खसरा नंबर 62 में रास्ता के बदले में अपनी [illegible] देते हैं तो अनावेदकगण खसरा नंबर 74 में रास्ता देने के लिए तैयार है। नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:30:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया। तहसीलदार खेतड़ी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 23.03.2021 में यह स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण खसरा नंबर 62 के आंशिक भाग में मकानात बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। खसरा नंबर 62 में आने जाने के लिए कोई कटानी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा पहुंच का वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है। आवेदक के पास प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। आवेदक को खसरा नंबर 62 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 73, 74 में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही अंकित) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 12 फुट चौड़ाई में 116 वर्गमीटर बनता है। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.05.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 62 में से भूमि दिये जाने पर सहमति होना विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने दौराने बहस जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 62 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक नजरी नक्शा दिनांक 10.05.2022 के प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ककराय तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 62 रकबा 0.89 है. में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण सं. 1 से 14 की खातेदारी भूमि खसरा 74 रकबा 0.27 है. की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे उत्तर–पश्चिम कौने से दक्षिण–पश्चिम कौने तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता आम रास्ता तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–''अ'') में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। खसरा नंबर 74 में से रास्ते के रूप में प्रभावित भूमि के बदले भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 62 में प्रार्थीगण के दर्ज हिस्से में से अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 14 को दिये जाने/खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। खसरा नंबर 74 में से रास्ते के रूप में निर्वापित भूमि के बदले बराबर भूमि का कब्जा प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नंबर 62 में अप्रार्थीगण सं. 1 से 14 को खसरा नंबर 74 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे संभलावे। रास्ते के सीमांकन के साथ–साथ रास्ते के बदले दिये जाने वाली भूमि का भी मौके पर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 114 को सीमांकन करवाया जावे। तद्नुसार तहसीलदार, खेतड़ी भूमि खसरा नंबर 74 के रकबे में से रास्ते की बाबत भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म ''गैर मुमकीन रास्ता'' के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे। प्रदर्श–''अ'' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 11–05–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:30:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner